न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

(135)

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

R9.301/-   RS197-III/16

1– सुरेशचन्द्र तनय स्व. रतनचन्द्र जैन

2– सुषमा जैन पति सुरेन्द्र चन्द्र जैन

दोनों निवासी पाली रोड उमरिया थाना उमरिया जिला उमरिया म.प्र.

....................प्रार्थीगण

बनाम्

रामनरेश सोनी पिता रामपियारे सेनी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 उमरिया थाना उमरिया तह. बांधवगढ़ जिला उमरिया म.प्र. ....अनावेदक

श्री. विनोद शुक्ला द्वारा आज दिनांक 29.4.16 प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश जिलाध्यक्ष उमरिया दिनांक 30.03.2016 जरिये प्रकरण क्र. 05/स्व.पुनरीक्षण 2014–15

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

संक्षिप्त विवरण

इस प्रकरण में आवेदकगण के स्वत्व की भूमि खसरा क्र. 260/2 रकबा 0.013 हे. स्थित ग्राम उमरिया तह. व जिला उमरिया में है। आवेदकगण के द्वारा भूमि खसरा क्र. 260/2 रकबा 0.013 हे. की विधिवत तहसीलदार महोदय के न्यायालय से सीमांकन की काय्रवाही कराई थी जो जरिये प्रकरण क्र. 71/A12/01'02 के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही मौके पर की गई तथा तहसीलदार महोदय के समक्ष राजस्व निरीक्षक चंदिया ने सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 पंचनामा प्रदर्श पी 2, पी 5 पेश किया इस तरह सीमांकन की कार्यवाही सरहद्दी कास्ताकारों के समक्ष की गई। जिसमें कोई आपत्ति न आने पर सीमांकन का पुष्टिकरण श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा किया गया तथा मौके पर पुस्तैनी माकान में मरम्मत कर सीमांकित स्थल में भविन निर्माण कर प्रार्थीगण निवास कर रहे हैं।

.........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5197–तीन/2016 निगरानी जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-09-17	यह निगरानी कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 5/2014–15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने । 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर सिंगरोली के आदेश दिनांक 30–3–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि श्रीमती सुषमा जैन ने तहसीलदार बांधवगढ़ के प्र.क. 12 अ–12/ 14–15 में पारित अंतरिम आदेश दि. 26–3–15 के विरूद्व कलेक्टर उमरिया के समक्ष स्वमेव निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कलेक्टर उमरिया ने आदेश दिनांक 30–3–16 से इस आधार पर निरस्त किया है कि निगरानी श्रवण करने के अधिकार उन्हें नहीं है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ तहसीलदार बॉधवगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 12 अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 01–08–17 से प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया गया है जबकि उनके इसी प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–3–15 को कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 30–3–16 के कम में चेलेंज किया गया है, जब तहसीलदार के प्रकरण का निराकरण अंतिम आदेश दिनांक 1–8–17 से हो चुका है विचाराधीन निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं रही है। फलतः निगरानी व्यर्थ हो जाने से गुणदोष पर विचार में लिये बिना इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	